%.२१

बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

संवेदिका Manju Devi At- Chitmath, P.O- Semariya, Dist- Siwan (निबंधन संख्याः–1190447 श्रेणी–प्रथम) को विभागीय आदेश ज्ञापांक 2763 दिनांक 24.05.2023 द्वारा 10 (दस) वर्षो के लिए किये गये कालीकृत (Blacklisted) के विरूद्ध दायर अपील अभ्यावेदन (दिनांक 27.06.2023) के सापेक्ष सुनवाई के सम्बन्ध में:–

13/02/2024

आदेश

संवेदिका Manju Devi At- Chitmath, P.O- Semariya, Dist- Siwan द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री सतीश कुमार राय एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वारसोई उपस्थित।

प्रस्तुत मामला का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 26.08.2020 को अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अध्यक्षता में सम्पन्न तकनीकी बीड समिति की बैठक की कार्यवाही के अनुसार मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अनुसूचित जाति) अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, वारसोई के अधीन Ufrail to Baluganj via Kol Tola, Ufrail Tola पथ निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य (Tender ID-95309) के लिए दिनांक 30.06.2020 को Online प्राप्त पुर्ननिविदा में भाग लेने वाले निविदाकारो के तकनीकी बीड संबंधी कागजात की समीक्षा की गयी।

उक्त निविदा में संवेदिका Manju Devi At- Chitmath, P.O- Semariya, Dist- Siwan (BID ID-409140) द्वारा Existing Commitment शून्य (0) अंकित किया गया है जबकि एम0आई0एस0 के अनुसार ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वारसोई के अधीन ही Malikpur Hat to Bohar पथ में कार्य अपूर्ण है। इस पथ में बचे हुए कार्य की राशि इनके द्वारा Existing Commitment में नहीं दर्शाया गया। अतः इन्हें एस0बी0डी0 के ITB (Section-1) की कंडिका–4.8 (made misleading or false representations in the forms, statements and attachments submitted in proof of the qualification requirements) के आलोक में तकनीकी बीड में अयोग्य घोषित करते हुए समिति द्वारा निविदा में Existing Commitment के संबंध में गलत तथ्य प्रस्तुत किये जाने के कारण निविदाकार मंजू देवी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली के तहत कार्रवाई किये जाने हेतु अनुशंसा की गयी।

उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 3986, दिनांक 03.09.2020, पत्रांक 251 दिनांक 15.01.2021 एवं पत्रांक 2870 दिनांक 25.04.2022 द्वारा निविदा में Existing Commitment के संबंध में गलत तथ्य प्रस्तुत किये जाने के कारण निविदाकार मंजू देवी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त पत्र के आलोक में संवेदिका श्रीमती मंजू देवी के पत्रांक शून्य दिनांक 25.05.2022 द्वारा अपना स्पष्टीकरण कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वारसोई एवं विभाग को उपलब्ध कराया गया। जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि निविदा में इनके मुंसी के द्वारा Existing Commitment के संबंध में गलत तथ्य प्रस्तुत किया गया है भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं होगी। प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त पाया गया कि इनके द्वारा निविदा में Existing Commitment के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए कागजात misleading एवं false है। तद्‌आलोक में संवेदिका के स्पष्टीकरण को अमान्य करते हुए विभागीय समीक्षोपरान्त संवेदिका Manju Devi At- Chitmath, P.O- Semariya, Dist- Siwan, PIN CODE-841243 (निबंधन संख्या–1190447 श्रेणी–प्रथम) को बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या– 8123 दिनांक 19.12.2007 के कंडिका–11

(क) उप कंडिका–IX में निहित प्रावधानों एवं बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या–154 दिनांक 18.06.2015 के कंडिका–8 के उप कंडिका–4 (ठीकेदार द्वारा निविदा प्राप्त करने के लिए गलत अग्रधन या प्रतिभूति राशि एवं गलत कागजात समर्पित करने) में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 2763 दिनांक 24.05.2023 द्वारा 10 (दस) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किया गया, जिसके विरूद्ध संवेदिका मंजू देवी द्वारा अपना अपील अभ्यावेदन दिनांक 27.06.2023 को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

संवेदिका का पक्षः– संवेदिका Manju Devi At- Chitmath, P.O- Semariya, Dist- Siwan द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री सतीश कुमार राय द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि उक्त निविदा में इनके मुंसी द्वारा Existing Commitment के संबंध में गलत तथ्य प्रस्तुत किया गया है भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं होगी। संवेदिका श्रीमती मंजू देवी द्वारा अपने पत्रांक शून्य दिनांक 27.06.2023 द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन में भी इसी तथ्य का समावेश किया गया है।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वारसोई द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि निविदा में संवेदिका श्रीमती मंजू देवी द्वारा Existing Commitment के संबंध में गलत तथ्य प्रस्तुत किये जाने के कारण इन्हें विभागीय आदेश ज्ञापांक 2763 दिनांक 24.05.2023 द्वारा 10 (दस) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklisted) किया गया है।

अतएव सम्यक विचारोपरान्त संवेदिका Manju Devi At- Chitmath, P.O- Semariya, Dist- Siwan (निबंधन संख्याः–1190447 श्रेणी–प्रथम) को विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक 2763 दिनांक 24.05.2023 द्वारा 10 (दस) वर्षो के लिए किये गये कालीकृत (Blacklisted) आदेश को संशोधित करते हुए इन्हें आदेश निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए कालीकृत (Blacklist) किया जाता है।

तदनुसार वाद निष्पादित।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव

बिहार सरकार,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–03–185/2020 1022 /पटना, दिनांक–22/2/24

निबंधित

प्रतिलिपि– संवेदिका Manju Devi At- Chitmath, P.O- Semariya, Dist- Siwan, बिहार पिन कोड–841243 मो0 नं0–8800800900 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/2/2024
(इफ्तेखार अहमद)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–03–114 / 2023 1022 / पटना, दिनांक–22/2/24

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव / सचिव / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधान विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / उर्जा विभाग / कृषि विभाग, बिहार, पटना / पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना / सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 21/2/2024
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–03–114 / 2023 1022 / पटना, दिनांक– 22/2/24

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 21/2/2024
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–03–114 / 2023 1022 / पटना, दिनांक– 22/2/24

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 21/2/2024
सरकार के उप सचिव